आदेश संख्या / तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि साहित Action taken on order with date
13.07.16	**न्यायालय – अपर समाहर्त्ता, खूँटी** **विविध वाद संख्या - 01R15/2011** **चमार महतो – आवेदक** **वनाम्** **सरकार एवं सिलाय मुण्डा वगैरह** **आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदक चमार महतो पे0 स्व0 मनबोध महतो, ग्राम–बिरहू, थाना – खूँटी द्वारा मौजा इदरी, थाना खूँटी के थाना नं0 – 242, खाता नं0 – 55, प्लॉट नं0 – 271, रकबा – 7.98 एकड़ भूमि की रसीद आवेदक के नाम से मिलने की अनुमति प्रदान कर विपक्षियों के नाम से निर्गत मालगुजारी रसीद को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है। तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, खूँटी द्वारा विपक्षियों को सूचना निर्गत किया गया। विपक्षियों द्वारा वकालतनामा के साथ उपस्थिति दी गयी है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक बहस किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि मौजा इदरी, थाना – खूँटी, थाना नं0 – 242 जिला खूँटी के अन्दर खाता नं0 55, प्लॉट नं0 – 271, कुल रकबा 7.98 एकड़ भूमि, नामे परती कदीम आवेदक की है, आवेदक ने उक्त जमीन में कूछ हिस्सा पश्चिम तरफ खेती लायक दोन बनाकर एवं शेष टॉड जमीन को समतल करके 65 वर्ष पहले से खेती योग्य बनाकर दखलकार चला आता है एवं खेती आवाद करते आ रहे है। आवेदक के नाम उपरोक्त सम्पति धारा 5, 6, 7 बी0 एल0 आर0 एक्ट के अन्तर्गत आवेदक के दखल में चला गया, तत्पश्चात सन 1973 ई0 में सुझारत में आवेदक का नाम भी चढा जो रजिस्टर II के कन्टीनुअस खतियान द्वारा भी प्रमाणित होगा। आवेदक को अंचल कार्यालय, खूँटी से रजिस्टर II में दर्ज प्रमाण के साथ साथ एक ट्रेस मैप भी दिया गया है। जिससे	

प्रमाणित होगा कि कुल भूमि आवेदक की है और कुल जमीन उसके खास दखल कब्जा में लगातार चला आ रहा है। आवेदक के पिता मनबोध महतो के समय से ही कुल जमीनों में आवेदक का लगातार दखल – कब्जा चला आ रहा है, वैसे करीब 65 वर्षो से दखल में कुल जमीन है। विपक्षी बुधु मुण्डा के पूर्वज रतनु मुण्डा द्वारा दिनांक 08.02.1942 के उपरोक्त खाता एवं प्लॉट से 1.00 एकड़ जमीन जमीन्दार से हासिल किया है, कहना गलत है। विपक्षी का उक्त कागजात बनावटी एवं गलत है। यह सब कर्मचारी द्वारा प्रभाव में लाकर ही कराया गया है। विपक्षी गण सिलास मुण्डा, चुन्दा मुण्डा, सोहराई मुण्डा, मंगरू मुण्डा, लोहरा मुण्डा, महाबीर मुण्डा उस सभी का दिनांक 22.12.1998 को बन्दोबस्त द्वारा प्राप्त जमीन कहना भी गलत है। इन लोगों का कागज भी विल्कुल बनावटी एंव फरजी है। इन सभी को अंचल कर्मचारी द्वारा बहलाकर तथा प्रभाव में आकर मुकदमा लड़ने की नीयत से कराया गया है, जो नाजायज है। अंचल कार्यालय से मालगुजारी विपक्षियों को प्राप्त होना भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। आवेदक को अंचल कार्यालय, खूँटी से कम रकबा का मालगुजारी दिया जाना, विपक्षीगण को लाभ पहूँचाने के उद्देश्य से ही किया गया है, जो न्यायहित में नही है। सारा स्टाम्प कागज में जो भी लिखा गया है, वह बनावटी, पुरानी एवं जाली कागजात है। उक्त जमीन खतियान में नाम लगान पाने वाला चमार गंझू वगैरह दर्ज है, जो आवेदक के परदादा थे। आवेदक के सभी भैयादों के बीच एक बंटवारा वाद संख्या – 177/1975 जो अवर न्यायधीश रॉची के न्यायालय में दायर हुआ था। अतः आवेदक के नाम कुल रकबा का मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ में संबंधित कागजातों की प्रति उपलब्ध कराया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

इसके विपरीत विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि आवेदक का आवेदन कानूनन चलने लायक नहीं है, चूँकि आवेदन कालबाधित है। आवेदक का आवेदन न तो अपील, न रिविजन और न आवेदन के अन्तर्गत आता है। उक्त आवेदन सन् 1988–89 में विपक्षियों को बिहार सरकार राजस्व विभाग, जिला रॉची द्वारा बिहार भूमि सुधार कार्यक्रम जमीन बंदोबस्ती के अंतर्गत विपक्षियों को प्रश्नगत भूमि बंदोबस्ती करने के विरोध में लाया गया प्रतीत होता है, जो कालावधि समाप्त होने के बाद है। आवेदक ने मौजा इदरी, थाना – खूँटी, थाना नं0 242, जिला रॉची, हाल खूँटी के अन्दर खाता नं0 55, प्लॉट नं0 271, रकबा 7.98 एकड़ भूमि का जिक्र किया है और इस पर अपना दखल का दावा करता है लेकिन आवेदन के कंडिका 17 में कहीं भी यह दावा नही किया है कि उपरोक्त भूमि इसकी किस हैसियत से है।

अतः आवेदक द्वारा दावा किया है कि बुझारत में सन 1973 ई0 में इसके नाम से दखल कब्जा चला आ रहा है फिर कहना है कि मात्र 1.32 एकड़ भूमि का उपरोक्त प्लॉट का रसीद हासिल है। इस तरह आवेदक अपने आप में यह नहीं कह पा रहा है कि इसका असल दावा किस प्रकार का है। आवेदक को अपने जमीन के एक हकियत के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है और इस पर झूठा दावा पेश कर विपक्षियों के हक को मारना चाहता है। विपक्षी बुधु मुण्डा उर्फ रत्नाकर मुण्डा के पूर्वज रतनु मुण्डा पिता माना मुण्डा ने दिनांक 8.02.1942 ई0 को खाता के प्लॉट नं0 271 रकबा 7.98 एकड़ में से 1.00 एकड़ भूमि रैयती हासिल भूतपूर्व जमीन्दार शिवनाथ गौंझू,जीवधान गौंझू, महादेव गौंझू, अलदेव गौंझू, पिता किनु गौंझू वो गपोस गौंझू, पिता देवनाथ गौंझू वो सुखदेव गौंझू, पिता दुलारू गौझू पिता बंधु गौंझू वो बरकोय गौंझू पिता गुलाब गौंझू से हासिल किया है और रतनु मुण्डा अपने जीवन काल तक खरीदगी जमीन में दखलकार रहा और जमींदार को मालगुजारी देता रहा। रतनु मुण्डा के मरने के बाद उसके दो पुत्र बीरसिंह मुण्डा और आघना मुण्डा दखलकार हुए और उसके मरने के बाद विपक्षी बुधु उर्फ रत्नाकर मुण्डा वगै0 दखलकार चले आ रहे है तथा रतनु मुण्डा के नाम मालगुजारी रसीद अदाय कर सरकारी रसीद हासिल करते आ रहे है। विपक्षियों को बिहार सरकार, राजस्व विभाग, जिला रॉची द्वारा बिहार भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उपरोक्त प्लॉट नं0 271 का बाकी रकबा बन्दोबस्त किया गया है। इसके बाद विपक्षियों ने बंदोबस्त द्वारा प्राप्त जमीन पर दखलकार हुए और आजतक चास आबाद कर दखलकार चले आ रहे है और सरकार को मालगुजारी अदाय कर रसीद हासिल करते आ रहे है। आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर एक दिन के लिये भी दखल कब्जा नहीं है तथा कोई हक सरोकार नहीं है। आवेदक विक्रेता रामदेव गौंझू का पोता है, विक्रेताओं के वारिसान अभी गॉव में मौजूद है और वे उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहे है। आवेदक का दावा बेबुनियाद बनावटी एवं झूठा है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है तथा विषयगत भूमि से संबंधित कागजातों की प्रति उपलब्ध कराया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक बहस किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया बहस सुनने, उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि खतियान के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता नं0 55 में गैर मजरूआ खास एवं लगान पाने वाला चमार गौंझु वगैरह दर्ज है। तत्पश्चात अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा दिनांक 22.12.

1988 को भूमि सुधार अभियान 1988 के अन्तर्गत विवादित जमीन बन्दोबस्त की गयी है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी एवं अंचल अधिकारी, खूँटी को आदेश दिया जाता है कि सभी कागजातों एवं दखल कब्जा की जाँच कर तदनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

13/07/16

अपर समाहर्ता,
खूँटी

13/07/16

अपर समाहर्ता,
खूँटी